फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकार वकील उप-है बहस हेतु पत्रावली दिनांक 28.7.22 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
28.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित है बहस प्रार्थना पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 10.8.22 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
10.8.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप० है। पक्षकारान वकील की बहस प्रा.पत्र 212 की सुनी गई। बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि ख.नं. 280, 281 पुराने रिकार्ड अनुसार है जो प्रार्थीगण के पिता पेपसिंह की खातेदारी में थी जिसमें प्रार्थीगण की माताजी चांदबाई का भी हिस्सा था। प्रार्थीगण के नाम जो भूमि थी वह पूर्णरूप से पैतृक सम्पत्ति थी। जिसका ध्यान परिवार के पालन पोषण का पूर्ण अधिकार चांदबाई को था इसलिए अप्रार्थीगण का विक्रय सही है [illegible] न्यायालय में [illegible] प्रार्थीगण का [illegible] रहा नहीं है। विवादित भूमि [illegible] सन 2006 में कुछ भूमि का बेचान भी किया	

[हस्ताक्षर]
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		गया है जिस भूमि की धारा 90बी के द्वारा JDA के नाम किया जाकर किस्म परिवर्तन कराई जा चुकी है। जो उक्त भूमि वर्तमान में JDA जयपुर के नाम है। प्रार्थीगण ने JDA को पक्षकार नहीं बनाया। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि सन् 1974 में खरीदी गई थी उसके बाद से काबिज काश्त होकर अप्रार्थीगण ने भूमि को उपजाऊ बनाकर किया गया तथा उक्त भूमि में कृषि कार्य भी किया जा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा गिरदावरी में भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। इस प्रकार अप्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का मौके पर किसी प्रकार का कोई हित देना है नहीं कहना है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया का प्रथम दृष्टया केस पक्ष में भी इसी प्रकार साबित होने व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया [illegible] है। अतः प्रार्थीगण [illegible] खारिज [illegible] है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दि. 4.7.19 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली शामिल सफाई हो।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner